

होटल प्रबंध, खान-पान, प्रयोगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान,
सेक्टर-जी अलीगंज, लखनऊ (उ०प्र०) 226024

फार्म संख्या-8(1)

पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण पत्र (अनुच्छेद 17 देखा जाए)

जीवित होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन भोगी / खाता धारक निम्न विवरण अनुसार:-

- 1- पेंशनर का नाम
- 2- पेंशन भुगतान आदेश संख्या
- 3- बैंक का नाम
- 4- शाखा का नाम
- 5- बैंक खाता संख्या
- 6- आयकर पैन नं०
- 7- टेलीफोन नं० / मोबाइल नं०
- 8- ई-मेल
- 9- निवास का वर्तमान पता
- 10- आधार कार्ड नं०

को स्वयं देखा है और यह कि वह आज की तारीख में जीवित है।

पेंशनर / खाता धारक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर (सील सहित)

फार्म संख्या-8(3)

3- पुनर्विवाह / अविवाहित होने का प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ / मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है। मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं कोषाधिकारी को सूचित करूँगा / करूँगी।

स्थान

प्रमाण पत्र- 8(2) एवं (3) के लिए

दिनांक

हस्ताक्षर

पेंशन भोगी का नाम